

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

//आदेश//

भोपाल, दिनांक | दिसंबर, १९३३

क्रमांक एफ-१/१४०/१३३/स-१/३८१ भौतिक रसायन-लोक सेवा आयोग द्वारा
निम्नालिखित अध्यार्थियों को स्थानापन्न सहायक प्राध्यापक भौतिक रसायन
के पद पर वेतनमान रु २२००-७५-२८००-१००-४००० में आगामी आदेश पर्यन्त
अस्थाई रूप से उनके नाम के सम्बन्ध दर्शित स्थान पर नियुक्त किया जाता है। यह
अस्थाई रूप से उनके नाम के सम्बन्ध दर्शित स्थान पर नियुक्त किया जाता है। यह
नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय बिना सूचना के समाप्त को जा
सकेगो।

क्र० नाम एवं वर्तमान पता महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है
१. २. ३.
४. अंकोड़ा निक०

६. श्री भ्रातोक मोहन
६३, अनुपम नगर विद्यालय
के पास ग्रामलिहर।
१८. श्री रामकृष्ण कुमार श्रीवास्तव
द्वारा श्री ज्योति प्रसाद नाम
लगान कम्पाउन्ड सीहोर।

शा०सनातकोत्तर महा० गुना।

शा०महा०नरसिंहगढ़।

- २७ भौतिक रसायन-
२६. श्री दिजय कुमार सिंह
कमरो नं०-१५। छात्रावास
स-३ भारतोय खोन विधापोठ
धनबाद बिहार।

शा०सम०स्थ०गृहविकान महा० जबलपुर।

- २/ नियुक्त प्रत्यार्थी को जिला प्रक्रियालय के ऐडिक्ट बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-
पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
३/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलंग लेणी के प्रत्यार्थियों के
आरक्षण संबंधो प्रावधानों का ध्यान रखा गया है। उक्त लेणी के प्रत्यार्थियों
को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य
होगा।

- ४/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं औषधिक घोग्यता संबंधो मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत
करना होगा एवं साथ छाया प्रतियाँ सत्यापित करना होगा। सत्यापन के पश्चात
मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जायेगा।

// 2 // ५

5/ नियुक्त विधे गये अभ्यार्थियों को दिनांक 28 दिसंबर, 93 तक पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा। शासकोय अद्वशासकोय विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यार्थी को उपस्थिति के समय नियोजिता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

११२-११
वैरालाल त्रिवेदी ॥

उप सचिव,

म०प्र०शासनउच्च शिक्षा विभाग
दूरभाष न०-556233

पू०३० एफ-१/१४०/९३६८-१/३८ भौतिक रसायन भोपाल दिनांक । दिसंबर, 93
प्रतिलिपि-

1. सचिव म०प्र० लोक सेवा आयोग छंदोर को ओर सूचनार्थ श्रेष्ठित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म०प्र० भीपाल ।
3. महालेखाकार, म०प्र० रवालियर ।
4. निज सचिव, सलाहकार (सम०सन०) ।
5. संबंधित विवेद भौतिक वैज्ञानिक, उच्च शिक्षा म०प्र० ।
6. संबंधित प्राचार, शासकोय म०प्र० ।
7. संबंधितगण ।

५
उप सचिव,

म०प्र०शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नामवंशी/.....

मध्यपृदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

भौपाल, दिनांक १५ फरवरी, १९४

कुमांक एफ-१/१४०/९३/ए-१/३८-॥ भौतिकशा स्त्र॥-विभागीय तात्पर्यक आदेश
दिनांक १०.१२.९३ में आंशिक संशोधन करते हुए सरल कुमांक २६ श्री विजय
कुजार तिंह के स्थान पर श्री विजय कुमार तिंह कमरा नं-४ छात्रावास त-३
भारतीय खोन विद्यापीठ पश्चाद् बिहार पढ़ा जावे ।

मध्यपुरदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानलार,

हीरालाल त्रिवेदी

उप लघिव,

मोर्योशासन, उच्च शिक्षा विभाग
दूरभाष नं०-५५६२३३

पृ० १० एफ-१/१४०/ए-१/३८

बोपाल, दिनांक

फरवरी, 94

पृतिलिपि-

1-3-a4

१. आयुक्त, उच्च शिक्षा मोर्यो भोपाल ।
 २. देवतीय अतिरिक्त तंचालक उच्च शिक्षा जबलपुर तंभाग ।
 ३. प्राचार्य, शा०मो००८०४०गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर की ओर उनके इाप क्र० 2030/अराज/स्था/९३-९४ दिनांक ३०.१२.९५ के संदर्भ में अधिकृत ।
 ४. श्री विनय कुमार सिंह नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक भौतिकशास्त्रायन शा०मो००८०४०गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला मह०० जबलपुर ।

नागर्वंशी / 25. 2. 94

मोण्डातन, उच्च शिक्षा विभाग



25/12/94

4/13
primigravida
3/194

विषय :- रत्नायन शास्त्र

११।	१२।	१३।	१४।
१. सुश्री प्रवीण जैन	१०/३, पीली विल्हुंग, जात नेशनल पैक के पीछे, मारवाड़ी रोड, भीलाल	शासकीय महाविद्यालय धमतरी, रायपुर	
२. सुश्री अल्का तिंहल	रेती सदन, बाचनालय मार्ग, विदिशा।	शासकीय महाविद्यालय, तिरा।	
३. सुश्री राजीव कुमार शुक्ला	कटारा:- एम०पी०गर्मा, प्राच्यापक, रत्नायन शास्त्र, ब्रह्मिगालव महाविद्यालय, मुरैना मनेन्द्रगढ़, सरगुजा।		
४. सुश्री मत्ती अर्जना अग्रवाल	३९, मोतीलाल नेहरूनगर, दाहरा मैदान, उज्जैन	शासकीय महाविद्यालय, वडनगर। उज्जैन।	
✓ ५. सुश्री मत्ती अर्जना रहे	कटारा:- ड०आर०क००खेरे, ६०७, शांतिनगर, दमोह नाला जवलपुर ४८२००२	शासकीय महाविद्यालय, काडरवारा। नरसिंहपुर।	
६. सुश्री अंजू गुप्ता	४३३, कल्पनानगर, रायसेन पोइ, नियम तोनागिरी, भोपाल - ४६२०२।	शासकीय महाविद्यालय, पिपरिया। होगांवाडा।	
७. सुश्री ममता ओझा	ओझा कुठीर, वी-सी, टीवाई स्टेट, जवलपुर	शासकीय महाविद्यालय नरसिंहपुर।	
८. सुश्री मत्ती तुनीता इन्दिलि	२८, जानकीनगर, ऐन। इन्दौर - ४५२००।	शासकीय महाविद्यालय, देवास।	
९. सुश्री तत्तीष्ठ शितूत	ए५-५, युनिवर्टिटी कैम्पस, विजयाराजे नगर, उज्जैन नि - ४५६०१०	शासकीय महाविद्यालय, डोंगरगढ़। राजांदांव।	
१०. कु० तीमा कंसल	११०१४। मालवीय नगर, भीलाल - ४६२००३	शासकीय महाविद्यालय, देवास।	
११. कु० नीरजा सक्सेना	कटारा:- कुत्तम सक्सेना, प्राचार्य, शासकीय उ०मा० विद्यालय, झावुआ	शासकीय महाविद्यालय, कुक्षी। धार।	
१२. ड० रत्ना पाठ्क	६१५-८, पश्चिम चंपापुर, जवलपुर - ४८२००।	शासकीय महाविद्यालय, गाडरवारा। नरसिंहपुर।	
१३. सुश्री उषा शुक्ला	C/० तहायक प्राच्यापक, एफ/५, तिंचाई विभाग कालोनी, रेडियो कालोनी, सिंगल लाइन के पीछे, रीवा	शासकीय महाविद्यालय, अमरपाटन। सतना।	

मध्य भृदेश शासन
उच्च प्रिक्षा विभाग

आदेश

भोषाल, दिनांक 15 जून, 1987.

ब्रूमांक संख्या 1/ 28 /87/र-1/38 - मध्यभृदेश तदर्थी नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा तामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन ब्रूमांक संख्या 6-30-86-एमडी। इसका दबारा नमूदर राजवत्र ईजटाधारणे में प्रकाशित अधिलेखना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थी स्व ते कार्यरत निम्नलिखित तहायक प्राध्यायक को स्थानान्वयन स्व ते आगामी आदेश तक इनायतलाल विषय के सहायक प्राध्यायक वद वर मध्यभृदेश वैज्ञानिक तेवा तु महाविद्यालयीन शासा में से 700-40-1100-50-1300-अतेलेन्ट-50-1600 के बेतनमान में उनके नाम के सम्बंध अंकित महाविद्यालय में वरिक्षा वर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी सर्व पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
कृष्ण बास्मार कल्यान सुहाने बास्मार की गोपाल दाम सुहाने	24-4-1962	शासकीय महाविद्यालय, चुन्नारदेव
<u>शासकीय महाविद्यालय, चुन्नारदेव</u>		

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके वरित्र तत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पास जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका वरित्र तत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं थाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के तमाप्त की जा सकती।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुन्तंगत भरती नियमों के अनुसार किए गए हैं।

मध्य प्रदेश गारन
उच्च निकाय पिमान
आदेश

मोराल, दिनांक ५ जून १९८७। १९८७।

उच्चांक इक १/२८ /८७/४-१/३८ - मध्यप्रदेश राजीव निवासियों का नियमितीकरण
निष्ठा, १९८६ तथा तामान्य प्रशासन पिमान के आवश्यक इकांक इक-६-३०-०६-एम५॥
एमारा म०४७ राजाव श्रीगतायारण॥ में पुकारिं उपहृष्टना दिनांक ५/६/८६ में प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग करते हुए इदर्थ स्वरूप डॉ विष्णु विहित नियमिति तात्पात्रक प्राप्त्यापक
को रथानावन्न सा तो जागामी आदेश ताक इसकमात्रम् विष्णु विहित तात्पात्रक
प्राप्त्यापक वद यह मध्यप्रदेश विधायिका तेवा महाविद्यालयीन शासा ५ में रु ७००-४०-
११००-५०-१३००-जारीकरन-५०-१६०० के बोरामानमें उनके नाम के साथ अंकित महाविद्यालय
में विविक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्राप्त्यापक एवं विता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय वहाँ पदांकित किया जाता है
अ०ज०० 174. रु० फिरन तिंब आरम्भा द्वी पिशाल तिंब मेहरा	१३-१-१९६२	शासकीय महाविद्यालय, अमरावती/१९८७

२- उपर्युक्ता नियुक्ति उनके वरित्र तर्यापन प्रतिवेदन के समाप्तान कारक पास जाने की प्रत्याग्रा में की जाती है। यदि उनका वरित्र तर्यापन प्रतिवेदन, समाप्तानकारक नहीं गया तो उनकी नियुक्ति विना पूर्व तृज्ञान के लाप्त भी जा सकती।

३- उपर्युक्त नियमों के अपीन नियुक्ता हिया गया द्यवित इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ता का पात्र होगा और उसे उन द्यवितयों के नीचे रखा जासगा जो उन नियमों के अपीन नियुक्त किये जाने के पूर्व तृज्ञान प्रतीक्षा नियमों के अनुसार किए गए हैं।

कार्यालय सचिव, जनमार्गीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय— शास मी हृगृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर

ज्ञानाक
प्रति

3072

दिनांक 5.9.22

✓ दो सोमा रानी
श्री नरेश कुमार
फ्लैट नं 107 सोनिया अपार्टमेंट
सिविल लाइन जबलपुर मो न 8901309722

- विषय — अतिथि विद्यान आमत्रण प्रक्रिया 2022–2023 के संबंध में आमत्रण पत्र विषयक
संदर्भ — आपका आवेदन क्रमांक 21050066 Date 02.9.22

विषयानामंत्र एवं द्वारा सूचित किया जाता है आपका शास मी हृगृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर में रसायनशास्त्र विषय हेतु अतिथि विद्यान के रूप में आमत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि, आपको शैक्षणिक रात्र 2022–2023 में अतिथि विद्यान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।

यह आमत्रण पत्र निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. आपको प्रतिविस न्यूनतम 5 घण्टे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घण्टे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस और सत 7 घण्टे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्याने द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घण्टे का प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त ट्यूलोरियल, रेमेडियल ब्लासेजे आदि में भी शिक्षण का कार्य करेगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचाराय द्वारा कार्यभार में युक्ति भी की जा सकती है।
2. अतिथि विद्यान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा।
3. यह आमत्रण वर्तमान शैक्षणिक रात्र 2022–23 अर्थात् 30 जून 2023 तक के लिए सीमित होगा।
4. यह आमत्रण किसी भी समय बिना पूर्ण सूचना के सचिव, जनमार्गीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देव नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण न होने सबधी प्रमाण/अन्य दावाकीय/जट्टासापीय/अंशासापीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में 25% पत्र प्रत्युत करना होगा।
7. अवेदन को आवेदित महाविद्यालय में दिनांक 06-09-2022 तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमत्रण रखते निरस्त हो जावेगा।
8. अवधित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनर सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन को आदेश क्रमांक एफ 1-42 / 2017 / 38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्यान हेतु आमत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्यान आमत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

3073

Hanshu
सचिव
जनमार्गीदारी समिति
govt. M. H. College of Home Sc. &
Sc. For Women, Jabalpur
दिनांक 5.9.22

1. दो-दो दिनों तक जारी रखा जानी जबलपुर संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रोष्ठा।
2. कार्यालयीन प्रति।

Hanshu

Hanshu
सचिव
जनमार्गीदारी समिति
govt. M. H. College of Home Sc. &
Sc. For Women, Jabalpur

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक— १० / ६ / २००९

क्रमांक एफ—१/८८/२००८/१/अड्डीस—राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से घयनित अन्य पिछड़ा वर्ग की उम्मीदवारों को २ वर्ष की पश्चिमांक अवधि पर सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र के पद पर वेतनमान रूपये ८०००—२७५—१३६०० में उनके नाम के समक्ष वर्णाये गये महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुए पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	नाम	वर्ग	पदस्थापना का स्थान
1	2	3	4
१.	सुश्री लाला राय	अन्य पिछड़ा वर्ग	शासकीय(मो०८०) गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर

२. नियुक्त उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय मेडीकल बोर्ड का स्वरूप प्रमाण—पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

३. इस नियुक्ति में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आखण) अधिनियम १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) के उपबन्धों का और अधिनियम के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा ६ की उपबन्धा (१) के उपबन्धों का पूर्ण सज्जान है।

निरन्तर...

कार्यालय सचिव जनभागिकारी समिति शासकीय मो. ह. गृह विज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय, स्वशासी,
जबलपुर म. प्र.

1468
क्रमांक मो. ह. / 06

जबलपुर दिनांक १५.१.०८

आमंत्रण पत्र

प्रति, ✓ Dr.(Smt.)...mamta...singhvi

59,...Saket...Nagpur.,..vivakanand road

M.R.4...Road...Bachli..U.K.Han
Talukpurn (cm.p.)

हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय के विषय रसायन विभाग में
रिक्त शिक्षकीय पदों पर “अतिथि विद्वानों से अध्यापन व्यवस्था” के अन्तर्गत अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित
किया जाता है। प्रत्येक व्याख्यान की अवधि 40 मिनिट एवं मानदेय 100/- (एक सौ रुपया) प्रति व्याख्यान
(अधिकतम 400/- चार सौ रुपया प्रतिदिन) की दर से निर्धारित है। अधिक जानकारी हेतु विभागाध्यक्ष से
संपर्क करें। यह अध्यापन व्यवस्था दिनांक 28/02/07 तक अथवा प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक की नियमित
पदस्थापना दिनांक तक, जो भी पहले हो पूर्णतः अस्थाई रूप से जारी रहेगी।

अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। औ

वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत “लोक सेवक” नहीं माने जाएंगे।

कार्यालय सचिव, जनमानीदारी समिति
महाविद्यालय: Govt. M.H. Home Science Girls P.G. College Jabalpur

क्रमांक: 1456

दिनांक: 8-9-17

प्रति,

नाम: डॉ. मनीषा जैन

पिता / पति: स्त्री संकल्प जैन

पता: 314 रुम. डी. साकेंड, पुरानी चरहाई, जबाहर गंज, जबलपुर (M.P.)

विषय: आपके ऑनलाइन आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना: प्रथम चरण।

सन्दर्भ: आपका आवेदन क्रमांक 508988 दिनांक 05.09.17

—0—

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय में आपको शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अतिथि व्याख्यान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा:

1. यह कि आपको 45 मी. से 55 मी. के एक कालखंड के व्याख्यान के लिए रुपए 275/- तथा एक कार्यदिवस हेतु अधिकतम 825/- देय होगा। एक कार्य दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान तक आपको आवंटित किये जा सकते हैं।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्ण सूचना के सचिव, जनमानीदारी समिति द्वारा समाप्त की जा सकती।
4. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अद्वेशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 05 से 09 सितम्बर, 2017 (सायं 5 बजे तक) तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
7. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा पुनः सत्यापन करना होगा।
8. आपको शासन के आदेश क्र: 969/एफ-1-9/2016/38-1 दिनांक 8 अगस्त, 2016 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन व्याख्यान के लिए आमंत्रण किया जा रहा है।
9. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण-प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों के अध्यधीन है।

प० क्रमांक 1457

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर सभाग, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति

S/No. 12
राजनीतिक समिति,
पहिला महाविद्यालय एवं विज्ञान
दिनांक: 8-9-17, जबलपुर

S/No. 12
जनमानीदारी समिति,
घाटाचार्य

राज. पो. ए. गुडविज्ञान एवं विज्ञान
पहिला महाविद्यालय, जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

// आदेश //

भोपाल, दिनांक १९ अक्टूबर १९९३.

क्रमांक संख्या-१/१४०/९३/ए-१/३८ बृहस्पतिवार्षिक तथा संषोधन अदेश दिनांक
३०.९.९३ द्वारा निम्नलिखित नवनियुक्त महाराजपालकों की नियुक्तियों में
आंशिक संशोधन करते हुए उनके नाम के सम्बन्ध दर्शायि महारा में पदस्थि दिया जाता है।
साथ ही इनके इनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में दिनांक ३०.१०.९३ तक
वृद्धि की जाती है।

वर्तमान महारा में पदस्थित महारा में पदस्थापन
क्र० नाम शासन महारा संशोधित महारा में पदस्थापन
१. श्री अरुण सिंह शासन राजतकोत्तर महारा शासन महारा शुजालपुर

२. श्रीमती मंजू गुप्ता शासन महारा सिहोरा शासनगृह विज्ञान महिला
जबलपुर महारा जबलपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

१९९३ वीरालल त्रिवेदी ॥

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
पूर्वोक्त संख्या-१/१४०/९३/ए-१/३८ बृहस्पतिवार्षिक भोपाल, दिनांक १९/१०/१९९३।

प्रक्रिया :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र०, भोपाल।
- संबंधित क्षेत्रों अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म०प्र०।
- प्राचार्य, शासन महारा शाजापुर/शुजालपुर/सीहोरा/जबलपुर, म०प्र०।
- संबंधित अधिकारी।
- किं सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा, म०प्र०।

१९.५.९३
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

उपाध्याय //

मध्यांदेश ग्रामन
उच्च शिवा विभाग

//आदेश//

भोपाल, दिनांक ३० सितम्बर १९४८

क्रमांक ४५-१/१४०/९३/४-१/३४ रतानगास्त्रे लोक शेष आवोग द्वारा निम्न-
लिखित अधिकार्थियों को स्थानापन्न तहायक प्राध्यापक रतानगास्त्रे के पद पर
वेतनमान रु २२००-७५-२८००-१००-५००० में आगामी अदेश पर्यन्त अस्थार्ड तथा
ते उनके नाम के ममक दर्शित स्थान पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति
पूर्णतः अस्थार्ड है तथा किसी भी समय विना सूचना के तमाचे की जा सकेगी।

क्र० नाम एवं वर्तमान पंत्र महाविगालय जहाँ पदस्थ किया
जाता है।

1 2 3

कार्यनिक

- | | | |
|----|--|----------------------------------|
| १. | श्रीमती भीता यत्वेदी
आपाती तहाठप्राठ०
द्वारा श्री मुख्यमित्र,
डी-२४, ७४ बगले भोपाल | शास. सम. छ्वाँ. श५. महाठ० भोपाल |
| २. | कु० निवेदिता
द्वारा डा. यू. डी. एन. वाचपेयी
रतानगास्त्र विभाग,
रानो दुर्गावती विष्वविगालय
जबलपुर म०प० | शास. महाप. सिहोरा जबलपुर० |
| ३. | श्री अर्ण भारद्वाज
महायक-प्राध्यापक
शास. महा. बुद्धार० शहडोल० | शास. नेहरू महाप. बुद्धार० शहडोल० |
| ४. | डौ० कुमारी रत्ना पाठक
आपाती तहाठप्राठ०
द्वारा श्री एन. डो. पाठक,
६१५ अ. प. सियमी धामापुर
जबलपुर० म०प० | शास. महा. गाडरवाडा नरमिंदूर० |
| ५. | कु० श्रवणा साहा
द्वारा श्री के. पी. साहा,
प्लाट ९ ब्लाक १७ नेहरू नगर
इस्टैपो. अ. स. ए. एफ. लाइन
मिलाई दुर्ग० | शास. महा. पाटन० दुर्ग० |

निरंतर//२//

14. कु० भूजु गुप्ता
द्वारा अपर गृह निर्माण आगुला,
म०प० प० गृह निर्माण मण्डल
हाथीताल जवलपुर ।
15. कु० अलका शर्मा
द्वारा श्री एय. सौ. शर्मा
शडोद भगतसिंह घौंक शारदा
जलपान गृह के पास टिकरापारा
रायपुर ५०५०००
16. कु० नोलिभा पुधान
१०० बो विनायक अपार्टमेन्ट
वी. सन्. १०२ राजेन्द्रनगर छन्दौर
श्री फिलास राव शंकरराव
प्लाट नं. २०१ माडल टाउन
पो० ए. ए. एफ. लाइन मिलाई नगर
५०२५४
17. डॉ श्रीमती शोभा शुक्ला
५० आपाती तहाप०प०
द्वारा डाप्पो. सी. शुक्ला,
एफ ८४ वार्डन्स बंगलो वैटरिनरी
कालेज महूड़न्दौर
20. श्री पवन शंकर तिवारी
८/१२ लेखानगर रिज रोड
जवलपुर ५०५०००
21. श्री कौशल कुमार मिश्र
द्वारा श्री डो. एल. मिश्र
वार्ड नं. १३ विमाम गृह के
पोछे जांगोर विलासपुर ५०५०००
22. कु० पुष्पा मुलयन्दानी
एम. आई. जो. ३ ए रोनागोरी
भेल भोपाल
23. श्री गेन्दा सिंह
लेव नं. ४१ कैमिस्ट्री विभाग
वनारस छिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी ५३०५००५
- शास्ति. यहा. तिलोरा जवलपुर
द्वारा द्वारा पक के फिला
- शास्ति. चर्चीत कन्या महा. रायपुर
- शास्ति. स्नातकौत्तर महा० खड़वा
- शास्ति. महा० कोण्डागाँव द्वारा
- शास्ति. पो. जो. महा० महूड़न्दौर
- शास्ति. महा० डिण्डौरी द्वारा
- शास्ति. स्नातकौत्तर महा० अंदिकापुर
५४ सरगुजा
- शास्ति. स्नातकौत्तर महा० तीहोर
- शास्ति. महा० अभरपाटन द्वारा

///निरंतर//५//

113/1

लिखा गया

1. श्रीमती पुतिया जैन शास्त्र मध्यार शालाली मिहोगामुखी
द्वारा श्री अधिकारी साम जैन
श्राम भ्यज हो इन्द्रियोंसाम
मैनुरो दृउत्तरपुरुषों
- 2/ नियुक्त प्रत्पाशों को जिला विकासालय के मेडिल बोर्ड का स्थान्य
प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते तमय दृ उत्तर करना होगा ।
- 3/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, दिल्ली जैगी के प्रत्पाशियों
के आरक्षण तंदंधो प्राप्यतानों का ध्यान रखा गया है । उक्त जैगी के प्रत्पाशियों
को उपस्थिति के तमय सक्षम अधिकारों का जाति दुमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य
होगा ।
- 4/ पदभार ग्रहण करते तमय जाति एवं ऐक्षणिक पोषणता तंदंधी मूल प्रमाण-पत्र
प्रस्तुत करना होगा एवं ताथ जाति प्रतियाँ सत्प्राप्ति करना होगा । सत्प्राप्ति के
प्राप्तात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जायेगा ।
- 5/ नियुक्त जिये गये अध्यार्थियों को दिनांक 28 अक्टूबर 93 तक पदस्थापन द्वारा
पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना
जावेगा । शासकों अद्व्यासकों विभागों/निकायों में कार्यरत अध्यार्थी को उपस्थिति
के तमय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
अद्व्यासकों

१०३०-१०३
दृष्टी रालाल क्रिस्टी ३
उप सचिव

मध्यप्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक ३० तितम्बर 93

पृ० क्रमांक स्फ-१/१४८/९३/२-१/३८,

प्रतिलिपि:-

1. तदिव, म०३० लोक सेवा आयोग इन्डौर को ओर सूचनार्थ अग्रेशित ।
2. आयुर्वा, उच्च शिक्षा म०३० भोपाल ।
3. महालेखकार म०३० च्वालियर
4. निजों सदिव, तलाइकार एम. एन.
5. संविधान बैठों भ्रातिरिक्ती तहाल, उच्च शिक्षा म०३०
6. संविधान पाचार्य शास्त्र. भद्राल
7. संविधान गण ।

उन तपिय
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

प्राचीन नम ।/ 28 / १८७/३-१/३६ - मध्यमुद्रेष्ट गल्वे नियुक्ति का नियमितीकरण
नियम, १९४६ तथा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उत्तर राज्यक्रम के द्वारा उत्तर नम-३-५-३०-४६-४८ है।
उचिकारों का उत्थान करते हुए ताक्षर्णे दिनांक ५/६/४६ में पुस्तक
को स्थानांकन स्वरूप आगामी आदेश तक — इसका लाभ — विषय के सहायक
प्राचीनकाल वर्ष मध्यमुद्रेष्ट विभिन्न सेवा है महाविद्यालयीन गाला है से १००-५०-
१००-५०-१३००-अतेतत्त्व-५०-१६०० के वेतनमान में उनके नाम के सम्बन्ध अंकित महाविद्यालय
में वरिकीका वर्ष नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी एवं वित्तावधि का नाम

जन्मतिथि

महाविद्यालय जहाँ वदांकित
किया जाता है

२८०

७२. ५० छठमा अवधी
उत्तराय श्री इन्द्रेन्द्र अवधी

२८-६-१९६०

ग्रामीय महाविद्यालय, तिहोरा

ग्रामीय महाविद्यालय, तिहोरा

८८-१८८
१९६०

२- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिबेदन के समाधान कारक पास जानी प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिबेदन, समाधानकारक नाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के स्थाप्त की जा सकेगी।

३- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीखी नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार हैं।

क्रमांक:

164

दिनांक: 05-09-18

प्रति:

नाम: Dr. Nisha Singh

पिता/पति: Mr. Narendra Pratap Singh

पता: Rakshesh Nagar, Ramgudi, Jabalpur (म.प्र.)

विषय: आपके ऑनलाइन आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना:

तिथि: आपका आवेदन क्रमांक 526137 दिनांक- 30/07/2018

.....0.....

विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय में **Chemistry** विषय पर व्याख्यान देने हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. यह कि आपको 45 मि. से 55 मि. के कालखंड के व्याख्यान के लिए एक कार्यदिवस हेतु रूपए 1500/- देय होगा। एक कार्य दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान तक आपको आवंटित किये जा सकते हैं।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए ही सीमित होगा।
3. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा त्तमाप्त की जा सकेगी।
4. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने भूल प्रनाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रनाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. अवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 06/09/2018 (ज्ञाय 5 बजे तक) तक नहाविद्यालय में उपस्थित होनी चाही दी जाए। नियमित लिए हुए तरफ समर्पित न होने पर आमंत्रण स्फूट नियमों का उल्लंघन हो जाएगा।
7. अवेदक महाविद्यालय में उपस्थित होने पर नूतन प्रसारण पत्रों द्वारा पूर्ण सत्त्वापराक्रमता होगी।
8. अवेदक को अपना का अनुस्तुति पत्र ०५/८५-१-३/२०१८/३४-१ दिनांक ५ अगस्त २०१८ में वरिष्ठ नियनों एवं शर्तों के अनुसार व्याख्यान का लिए जानकारी किया जा सकता है।
9. अपने प्रसारण पत्र का अनुस्तुति वित्तीय व्याख्यान में अतिथि वित्तीय आमंत्रण-प्रक्रिया से चंचलित याचिकाओं ने नानोर्य उच्च अनुस्तुति के नियम/आदेशों के विवादों में जुटा है।

सचिव

जनभागीदारी समिति,

शास.महाविद्यालय देवतालाल,

रीवा (म.प्र.)

दिनांक: 05-09-18

पृ. क्रमांक

165

प्रतिलिपि:

1. कंत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च रीवा, रीवा संभाग रीवा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति।

सचिव

जनभागीदारी समिति,

शास.महाविद्यालय देवतालाल,

रीवा (म.प्र.)

05.9.18

प्रमांक 3775
प्रति,

दिनांक ०२.०७.२०२०

डॉ प्रमेश कुमार बोहरे
पिता श्री राम कुमार बोहरे
14 साई सुबह परिसर
संजीवनी नगर गढा जबलपुर म.प्र
पिन कोड 482002, मो न 9826841047

- विषय — अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2020–2021 के संबंध मे आमंत्रण पत्र विवरण
संदर्भ — आपका आवेदन क्रमांक 112073 Date

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है आपको शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर मे रसायनशास्त्र विषय हेतु अतिथि विद्वान के रूप मे आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि, आपको शैक्षणिक सत्र 2020–2021 मे अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय मे उपस्थित होना होगा।

यह आमंत्रण पत्र निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा : –

1. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल व्हासेजे आदि मे भी शिक्षण का कार्य ऊरेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार मे वृद्धि भी की जा सकती है।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कांडेका 5.1 अनुसार होगा।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020–21 अर्थात् 30 जून 2021 तक के लिए सीमित होगा।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय मे अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय मे अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अद्वशासकीय/अशासकीय सेवा मे कार्यरत न होने के सबध मे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय मे दिनांक 10 सितम्बर 2020 तक महाविद्यालय मे उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
8. आवंटित महाविद्यालय मे उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन को आदेश क्रमांक एफ 1–42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 गे वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय मे अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं मे पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्यधीन रहेगा।

प्रमांक 3776
प्रतिलिपि

1. क्षेत्रीय अति संचा उशि, जबलपुर संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति।

Nalini
सचिव,
जनभागीदारी समिति
दिनांक (स्वास्ति) मो.ह.गृहविज्ञान
एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

Nalini
सचिव,
जनभागीदारी समिति
जनभागीदारी समिति
शास. (स्वास्ति) मो. ह. गृहविज्ञान
एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)



स्ववित्तीय योजना अन्तर्गत सत्र 2016-17 में अध्यापन व्यवस्था हेतु
क्रमांक 1257 ज भा/स्व. वि./16

प्रति,

डॉ. प्रियका पाराशर
श्री प्रमेश कुमार पाराशर
14-15, साई शुभ परिसर, दुर्गा कॉलोनी,
संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर म.प्र.
फोन नं. 9926493877

जबलपुर दिनांक 10.8.16

विषय : अतिथि विद्वान व्यवस्था हेतु

संदर्भ : पत्र क्रमांक /557/ अ.वि., जबलपुर दिनांक 26.5.2016

महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु जनभागीदारी समिति से अनुमोदित अतिथि विद्वान व्यवस्था के अंतर्गत विषय रसायनशास्त्र की प्राचीण्य सूची के आधार पर आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. शासकीय नियमानुसार आवश्यकता न होने पर बिना कारण बताये यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी, सचिव जनभागीदारी समिति का निर्णय अतिम एवं मान्य होगा।
2. अतिथि विद्वानों के अनुभव प्रमाण पत्रों का प्रमाणीकरण जारीकर्ता महाविद्यालय के प्राचार्य से पुष्टि के उपरान्त ही यह आमंत्रण पत्रमान्य होगा। आवेदक द्वारा कूट रचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दण्ड सहिता की धारा 409/420 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
3. अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत एवं लोकसेवक की विधि विहित परिमाण के अन्तर्गत लोकसेवक नहीं माने जावेगे।
4. इस अध्यापन व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।
5. अतिथि विद्वान सत्र में अन्य महाविद्यालयों में कार्य नहीं कर सकेंगे एवं इन्हें किसी भी संस्था में अवैतनिक कार्य करने हेतु विभागाध्यक्ष की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
6. उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के निर्देशानुसार अन्य नियम/शर्तें मान्य होंगी।
7. प्रत्येक 45 मिनट के एक दिन में अधिकतम आवश्यकतानुसार 4 कालखण्ड के लिए मानदेय 155 रुपये दिया जावेगा।

आप निम्नलिखित समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं शपथ पत्र के साथ दिनांक 10.8.2016 को या उसके पूर्व पूर्वान्तर 11:00 बजे महाविद्यालय के रसायनशास्त्र विभाग कक्ष क्रमांक 110 में उपस्थित होयें अन्यथा यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त हो जायेगा।

1. आमंत्रण की मूल प्रति।
2. अहंता संबंधी समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के अतिथि विद्वान नवीन आय प्रमाण पत्र की प्रति।
3. अतिथि विद्वान द्वारा निम्नलिखित आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही आमंत्रण पत्र मान्य करते हुए व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
 - कि मेरे विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
 - कि मैं किसी शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय संस्थान में सेवारत/कार्यरत नहीं हूँ।
 - कि मैंने इस सत्र में किसी अन्य महाविद्यालय का अतिथि विद्वान आमंत्रण स्वीकार नहीं किया है।

डॉ. किरण सिंह
संयोजक
अतिथि विद्वान समिति

डॉ. रिश्म सक्सेना
विभागाध्यक्ष

प्राचार्य
श. मो. ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान
महिला महाविद्यालय, जबलपुर

उमा
प्रति

3072

दिनांक 5.9.22

✓ ही सीमा रानी
श्री नरेश कुमार
फ्लैट नं 107 सोनिया अपार्टमेंट
सिविल लाइन जबलपुर मी. न 8901309722

विषय
सामग्री — अतिथि विद्यान आमत्रण प्रक्रिया 2022–2023 के सबध में आमत्रण पत्र विषयक
आपका आदेश क्रमांक 21050066 Date 02.9.22

विषयालयमें एतम् द्वारा सूचित बिना जाता है आपका शास. मी. ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान सहित महाविद्यालय जबलपुर में रसायनशास्त्र विषय हेतु अतिथि विद्यान के रूप में आमत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि, आपको शैक्षणिक सत्र 2022–2023 में अतिथि विद्यान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।

यह आमत्रण पत्र निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 पटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 पटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 पटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्यानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 पटे का प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त ट्यूर्नेरियल, रेसेडिगल यात्राओं आदि में भी शिक्षण का कार्य करें। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यमार्ग में युक्ति भी की जा सकती है।
2. अतिथि विद्यान का मानदेश शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कठिका 5.1 अनुसार होगा।
3. यह आमत्रण वार्षमान शैक्षणिक सत्र 2022–23 अथवा 30 जून 2023 तक के लिए सीमित होगा।
4. यह आमत्रण किसी भी समय बिना पूर्ण सूचना के सचिव, जनमागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण न होने सबधी प्रमाण/अन्य दावाकारी/जल्दीशासीकीय/जल्दीशासीकीय-सेवा में कार्यस्थल न होने के सबध में 24 घण्टे पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आदेश की आवश्यकता महाविद्यालय में दिनांक 06–09–2022 तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
8. आवश्यक महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनर सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन की आदेश क्रमांक एफ 1–42 / 2017 / 38–1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्यान हेतु आमत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्यान आमत्रण प्रक्रिया से सबधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

उमा
प्रतिलिपि

3073

Sachin
सचिव
जनमागीदारी समिति
vt. M. H. College of Home Sc. &
Sc. For Women, Jabalpur
दिनांक 5.9.22

1. श्रीडीय भूषि सचिव उच्च जबलपुर संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति।

Sachin

Sachin
सचिव
जनमागीदारी समिति
vt. M. H. College of Home Sc. &
Sc. For Women, Jabalpur

कार्यालय, प्राज्ञ. ४
प्रान्तीय सहाय्यकारालय फिहोरा,
जिला- अब्दुल्ला- १०७८

— १९२-४

प्राप्ति फिहोरा उमा.

७९१ क-५/२० १९०२३-१२-३। के द्वारा इन बाब्काराल
२७ दुष्टों द्वारा उच्च अद्यता अवस्था में दिया गया है।
८००-१६०० के व्युत्तम यदि १०.५% से छोटे हों
उसी उद्दर द्वारा दिया गया है। इनका अनुभव
अपने अन्य के लिए लाभ वाले बाब्काराल की युक्ति की
यह अधिक इसलाल के अन्तर्गत होते हैं। यह अन्तर्गत
यह ले लेने की दृष्टि से यह द्वारा १९ अगस्त के

दिन

शायामी द्वारा दिया गया है।

प्राप्ति

फिहोरा, १०-१२-४२

१०.५-१६४३-१८१-४३

प्राप्ति

- १) युक्ति द्वारा दिया गया है, अतः यह द्वारा दिया गया है।
अवस्था दिया गया है। इनका अनुभव
अपने अन्य के लिए लाभ वाले बाब्काराल की दृष्टि की
यह अधिक इसलाल के अन्तर्गत होते हैं।
यह ले लेने की दृष्टि से यह द्वारा १९ अगस्त के
- २) ३-१२ दिनों के बाब्काराल द्वारा दिया गया है।
यह अन्य के लिए लाभ वाले बाब्काराल की दृष्टि की
यह अधिक इसलाल के अन्तर्गत होते हैं।
यह ले लेने की दृष्टि से यह द्वारा १९ अगस्त के
- ३) यह अन्य के लिए लाभ वाले बाब्काराल की दृष्टि की
यह अधिक इसलाल के अन्तर्गत होते हैं।
यह ले लेने की दृष्टि से यह द्वारा १९ अगस्त के
- ४) यह अन्य के लिए लाभ वाले बाब्काराल की दृष्टि की
यह अधिक इसलाल के अन्तर्गत होते हैं।
यह ले लेने की दृष्टि से यह द्वारा १९ अगस्त के

४



श्रीमती मृदुला दुबे - पोत्तन श्री अनूप कुमार दुबे उम्र 33 वर्ष, निवासी 1817 राहट
जोरन जबलपुर म0पु0 हाल मुकाम खिलौला बाजार तेहरील तेहरा जिला
जबलपुर निम्नलोहा कथम शापथ्यार्थक करती है-

मैं श्री लक्ष्मीनारायण अवस्थी की पुत्री हूँ अतः मेरा सरनेम "अवस्थी" मेरे विवाह
पूर्व धा मेरे लूल कालेज के कागजातों में भी अवस्थी सरनेम ही है।

मेरा विवाह दिनांक 18-5-86 को श्री अनूप कुमार दुबे निवासी 1817 राहट
उन जबलपुर म0पु0 वालों से हुआ है।

दूसरी रीत रिवाजों के अनुसार विवाह के बाद मेरा सरनेम मेरे पाति के सरनेम
"दुबे" हो गया है।

विवाहोपरान्त मैं श्रीमती मृदुला दुबे हो गई हूँ अतः मेरा यही नाम और
सरनेम है।

यह शापथ्यार्थक सरनेम बदलने के कारण कागजातों में भी यही सरनेम दुबे कराने के लिए
रही है।

शापथ्यार्थक
M. Duley

तत्त्वापन

श्रीमती मृदुला दुबे पोत्तन श्री अनूप कुमार दुबे उम्र 33 वर्ष - खिलौला बाजार तेहरा
जिला तेहरा जबलपुर तस्दीक करती है कि उपरोक्त शापथ्यार्थक मैं पैरा। से 5 के
समय मेरी निजी जानकारी से तत्य वा सही है। तस्दीक कर दस्तखत किया दिनांक
-1-94 तेहरा

शापथ्यार्थक
M. Duley

४० : वर्षांत्य प्राचार्य, शासकीय साम्राज्यिक मण्डो बहुवालय, शिवनी (माझ ०) ४०-

छान्दि

/८३

शिवनी, १ दिनांक २५/१०/८३

४०/१८३

// आ हे अ //

इस कार्यालय के पश्च २०७८
ला० २५-१०/८३ तिथी २३/१०/८३ के तारतम्य में
ला० २५-१०/८३ शासन उच्चे इकाईयां के पश्च २०७८ ला० १/८३/७९/०-३/२० ला० १/३/८३
ला० २५/१०/८२ के अनुसार कु० एव्वा वर्षा प्राप्तादी को वर्षांभार ग्रहण करने की १ ताँदा से
तदा वाल्याना रक्षण शासन के द्वितीय पर पर वैत्तमान ७००-६०० में ६ घाट की
प्राप्ति के लिये अधिकार १ नवुंदादी जाती है।

यह नियुक्ति पुर्णतः वर्तमार्ह रहेगी तथा शासन एवारा नियुक्ति व्यौद्धे ३ त
के एवारा वर्षांभार ग्रहण करने या १ नव्यक्ति व्यावालय के एवारा वर्षांभार ग्रहण करने
वाला क्षय आहेहा तक जोडी पां छाले और के १ लिये दोगो तथा इनमें से कोई शी
पां रो १८ ा॒ त उत्तम ढौने पर इच्छा नियती पूर्व गुजरा के देवारे इव्वेत्र लगावत
गो जायेगी।

SD/-

प्राचार्य

शासकीय साम्राज्यिक मण्डो बहुवालय
शिवनी

पृष्ठा० २२३५ /८३

१ शिवनी, १ दिनांक ८-११-८३

प्राप्तिलिपि//

- (1) अवर सौचय गण्ड० इशान उच्चे १ इकाई वर्तमान ग्रामाल को सूचना १[ा] द्यावित।
- (2) महालैखाकार गण्ड० अन्तिमान २०११/११/२१
- (3) ✓ संरक्षित आविष्कारी
- (4) व्यवितरण पंजी
- (5) लैक्षण्य, इशास अपहारी शिवनी
- (6) वैतन देयक
- (7) तदा नियुक्ति पंजी

— — — — —

प्राचार्य

शासकीय साम्राज्यिक मण्डो बहुवालय

१ शिवनी।

//ठाकुर//